रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 385] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 1983/आश्विन 6, 1905
NO. 385] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 28, 1983/ASVINA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1983

सं० 275/83-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 755(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना

सं० 150/81-सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में—

(i) शर्त (ग) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(ग) इस प्रकार विनिर्मित वस्तुओं का स्वयं उपयोग करेगा या इस प्रकार विनिर्मित वस्तुओं का विक्रय औद्योगिक एककों को उनके उपयोग के लिए करेगा और ऐसे औद्योगिक एककों को विक्रय की गई ऐसी वस्तुओं के लिए बैंकों के माध्यम से संदाय प्राप्त करेगा;" ;

(ii) शर्त (घ) का लोप किया जाएगा ;

(iii) शर्त (ङ) को शर्त (घ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

[फा०सं० 370/23/82-सी०शु०]

एन० शशीधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1983

NO. 275|83-CUSTOMS

G.S.R. 755(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 150|81-Customs, dated the 25th May, 1981 namely :—

In the proviso to the said notification,—

(i) for condition (c), the following condition shall be substituted, namely :—

"(c) utilise the articles so manufactured himself, or sell the articles so manufactured to industrial units for

their use and receive payments through banks for such articles sold to such Industrial units;";

(ii) condition (d) shall be omitted;

(iii) condition (e) be renumbered as condition (d).

[F. No. 370|23|82-Cus. I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983.